

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)  
31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

उत्तर प्रदेश सरकार  
2014 का प्रतिवेदन संख्या-4

**विषय-सूची**

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		iii
<b>अध्याय-I</b>			
	प्रस्तावना	<b>1</b>	<b>1-5</b>
	इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
	लेखापरीक्षिती की रूपरेखा	1.2	1-2
	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
	कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	2
	लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन	1.5	2-3
	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ	1.6	3
	विशिष्ट लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	1.7	3-4
	लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता	1.8	4-5
<b>अध्याय-II</b>			
	<b>उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा</b>	<b>2.1</b>	<b>7-22</b>
	कार्यकारी साराँश	--	7-8
	प्रस्तावना	2.1.1-2.1.3	8-10
	लेखा परीक्षा उद्देश्य	2.1.4	10
	लेखा परीक्षा मानदण्ड	2.1.5	10
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं विधियाँ	2.1.6	10
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.7-2.1.28	11-21
	राज्य का क्षतिपूरक वनीकरण निधि	2.1.8	11
	वन भूमि का विपथन एवं क्षतिपूरक वनीकरण	2.1.9-2.1.12	11-13
	क्षतिपूरक वनीकरण निधि का संग्रहण	2.1.13-2.1.19	13-17
	क्षतिपूरक वनीकरण धनराशियों का उपयोग	2.1.20-2.1.25	17-20
	अनुश्रवण प्रक्रिया	2.1.26 to 2.1.27	20-21
	राज्य कैम्पा के खातों एवं लेखा परीक्षा की स्थिति	2.1.28	21
	निष्कर्ष	2.1.29	21
	संस्तुतियाँ	2.1.30	21-22
	<b>स्मारकों के निर्माण की समीक्षा</b>	<b>2.2</b>	<b>23-52</b>
	कार्यकारी साराँश	--	23-24
	प्रस्तावना	2.2.1-2.2.3	24-26
	लेखा परीक्षा उद्देश्य	2.2.4	26
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.2.5	26
	लेखापरीक्षा की कसौटियाँ	2.2.6	26-27
	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.2.7-2.2.40	27-52
	वित्तीय प्रबन्धन	2.2.8-2.2.12	27-30
	नियोजन	2.2.13-2.2.17	30-33
	परियोजनाओं का निष्पादन	2.2.18-2.2.37	33-48
	पर्यावरण सम्बंधी मुद्दे	2.2.38-2.2.39	48-52
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2.2.40	52
	निष्कर्ष	2.2.41	52
	संस्तुतियाँ	2.2.42	52
<b>अध्याय-III</b>			
	<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>	<b>3</b>	<b>53-69</b>
	<b>वन विभाग</b>		
	अभिवहन शुल्क की कम वसूली	3.1	53-54

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	<b>अध्याय-III</b>		
	पेड़ों की जड़ों के गैर विक्रय के कारण हानि	3.2	54-55
	आयतन गुणांक के निर्धारण में विलम्ब के कारण रायल्टी का अल्प प्रभारण	3.3	55-56
	<b>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग</b>		
	यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण	3.4	56-65
	<b>आवास एवं शहरी नियोजन विभाग</b>		
	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण सेस की कटौती न करना।	3.5	66-67
	शासकीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रणालीगत चूक	3.6	67-69
<b>क्रम</b>	<b>परिशिष्ट</b>		
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को प्रदर्शित करती हुई विवरणी	1.8.2	71
2.	प्रभागों द्वारा एकत्रित धनराशि का विवरण दर्शाती हुई विवरणी	2.1.13	72
3.	प्रभागों द्वारा उ0प्र0 राज्य कैम्पा को निधि प्रेषित करने में विलम्ब का विवरण	2.1.15	73
4.	उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को निधि प्रेषित करने में विलम्ब का विवरण	2.1.15	74
5.	वार्षिक प्रचालन योजना के अनुमोदन के बिना अवध वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण राशि के उपयोग का विवरण	2.1.16	75
6.	10 मीटर चौड़ी पट्टी के समतुल्य भूमि के मूल्य को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.18	76
7.	निवल वर्तमान मूल्य की अधिक वसूली को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.19	77
8.	एकत्रित निधि के संयोजन के बिना निधि के आवंटन का विवरण	2.1.21	78
9.	विभागवार स्वीकृत लागत एवं कार्यदायी संस्थावार कोषों का आवंटन को दर्शाती विवरणी	2.2.3	79
10.	पीएफएडी/ईएफसी द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत प्राक्कलन को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.9	80
11.	ईए द्वारा अनुमोदित दरों के अनुपालन न करने के कारण ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.11	81
12.	ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ के कारण अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.11	82
13.	पौधों की खरीद में दरों की भिन्नता के कारण किए गए अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.11	83
14.	अधिक वैट के भुगतान के विवरण को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.12	84
15.	ईए द्वारा किये गये परामर्श सम्बन्धी अनुबन्ध एवं सहमत शुल्क और उसके अनुसार किये गये भुगतान को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.13 एवं 2.2.14	85
16.	पुनरावृत्तिक कार्य पर परामर्शदाता को किये गये अधिक भुगतान को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.14	86
17.	ढाँचों के ध्वस्तीकरण और उन पर किये गये व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.19	87
18.	ईए द्वारा किये गये दरों के विश्लेषण में पाई गई कमियों को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.21	88-89
19.	पत्थर सम्बन्धी कार्यों के विभिन्न मदों हेतु ईए द्वारा अनुमोदित साथ-ही-साथ लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित दरों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.21	90
20.	उच्चतर दरों के अन्तिमीकरण के कारण आधिक्य व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.21	91-93
21.	विभेदित विशिष्टियों की दरों में अन्तर न करने के कारण किये गये अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.22	94
22.	ईए द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर पर बीपीआरआईपी को भुगतान करने के कारण किये गये अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.31	95
23.	कार्य को निम्न दरों पर न कराने के परिणामस्वरूप किये गए अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.31	96
24.	कुछ पौधों के मूल्यों में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.33	97
25.	पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए बनायी गयी समितियों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.40	98
26.	2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान अभिवहन शुल्क की कम वसूली को दर्शाती विवरणी	3.1	99
27.	यूकेलिप्टस वृक्षों पर रायल्टी की कम वसूली को दर्शाती विवरणी	3.3	100-101
28.	ठेकेदारों के बिलों से काटे जाने वाले सेस को दर्शाने वाली विवरणी	3.5	102
29.	संक्षेपण की शब्दावली	--	103-104